संख्या-2/2018/967/71-4-2018-1/2018

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय,
सैफई, इटावा।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-4 लखनऊ : दिनॉक 23 अगस्त, 2018

विषयः- वित्तीय वर्ष 2018-19 में उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा एवं पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, सैफई इटावा के कार्मिकों को 7वें वेतन आयोग की संस्तुतियों के अनुसार पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स के एरियर हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2018-19 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा एवं पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, सैफई इटावा को उनके सम्मुख अंकित 53-पुनरीक्षित वेतन अवशेष (राज्य सहायता) के अंतर्गत कुल रू0 **974.99 लाख (रू0 नौ सौ चौहत्तर लाख निन्यानवे हजार मात्र)** की धनराशि अवमुक्त करते हुए निवर्तन पर रखे जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है-

क्र0 सं0	विश्वविद्यालय/संस्थान का नाम	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त धनराशि (रू0 लाख में)
1	उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा	2210-05-105-03-0328-रूरल इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइसेज, सैफई, इटावा।	53-पुनरीक्षित वेतन अवशेष (राज्य सहायता)	889.45
2	एवं पैरामेडिकल विज्ञान महाविद्यालय, सैफई इटावा	2210-05-105-03-0331-रूरल इन्स्टीटयूट ऑफ मेडिकल सांइसेज एण्ड रिसर्च सैफई, इटावा में पैरामेडिकल इंस्टीटयूट की स्थापना।		85.54
			योग-	**974.99**

1- स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/डाकघर/बैंक में नहीं रखी जायेगी।

2- स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में वित्त् विभाग के शासनादेश संख्या-67/2016/बे0आ0-2-1447/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22-12-2016 के प्रस्तर-10 के प्राविधानुसार अवशेष भुगतान की प्रक्रिया सुनिश्चित की जायेगी और 01-01-2016 से पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स की स्वीकृति के फलस्वरूप अवशेष देयों के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-24/2017/ बे0आ0-2-1149/दस-04(एम)/2016, दिनांक 22-12-2016 एवं शासनादेश संख्या-5/2018/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

बे0आ0-2-/330/दस/2018-04(एम)/2016, दिनांक 18-05-2018 के प्राविधानों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

6- धनराशि को कोषागार से संस्थान/विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किए जायेंगे।

7- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-1/2018/बी-1-375/दस-2018-231/2018, दिनॉक 30-03-2018 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किए गये अधिकारों के अधीन निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-2/2018/967(1)/71-4-2018 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार, (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. कोषाधिकारी, इटावा।
4. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त अधिकारी, उ0प्र0 आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, सैफई, इटावा।
6. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-3/नियोजन अनुभाग-4/ वित्त् (आय-व्ययक) अनुभाग-2
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 इलाहाबाद।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

शुद्धि पत्र

शासनादेश संख्या-1/2018/967/71-4-2018-1/2018 के त्रुटिपूर्ण अपलोड के क्रम में संशोधित शासनादेश

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।